# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

## पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 06/2023**

**जी.सी.एम.एस. : 2023/47**

| **अपीलान्ट** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्ट :–** |
|---|---|---|
| चिमनाराम चौधरी पुत्र कुपाराम चौधरी जाति सिरवी निवासी सिंचाणा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल पता– 3-103-3/2/20 Saraswathi Nagar Colony, Ghatkesar Mandal, Boduppal Rangareddi, Dist. K.V.Rangareddi (Andra Pradesh) 500092 | | तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 15.7.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम मलसाबावडी पटवार मण्डल मलसाबावडी भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राणावास के नामान्तरकरण संख्या 1647 दिनांक 15.02.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने ग्राम मलसाबावडी पटवार मण्डल मलसाबावडी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 121 रकबा 1.7326 हैक्टेयर की भूमि को खातेदार प्यारीबाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2021 को खरीद किया। जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण मे अपीलाण्ट का नाम पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार दर्ज नहीं कर उसमें चिमनाराम चौधरी, कुपाराम चौधरी दर्ज कर विक्रय पत्र की प्रति सहित भू.अ.नि. को प्रषित किया, जिस पर भू.अ.नि. की रिपोर्ट अनुसार क्रेता का नाम बेचाण दस्तावेज अनुसार नहीं है नाम दुरूस्त कर पुनः पेश करे। हल्का पटवारी द्वारा पेश दिनांक 10.02.2022। तत्पश्चात उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत को प्रेषित किये बगैर ही तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने आदेश इन्द्राज

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

किया कि निरीक्षक भू–अभिलेख की रिपोर्ट अनुसार खातेदार का नाम विक्रयकर्ता का दर्ज नहीं होने से नामान्तरकरण खारिज किया जाता है। नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम व पिता का नाम विक्रय पत्र अनुसार दर्ज नहीं कर, केवल मात्र पुत्र अंकित नहीं होने से खारिज कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। जैर आराजी पर अपीलाण्ट वक्त खरीद से आज दिनांक तक मौके पर काबिज काश्त है, अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खसरा नम्बर 121 के खातेदार श्रीमती प्यारीदेवी ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2021 के द्वारा जैर आराजी का बेचान अपीलार्थी को किया था। उक्त विक्रय विलेख में अपीलार्थी का नाम चिमनाराम चौधरी पुत्र कुपाराम चौधरी जाति सीरवी निवासी सिंचाणा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर नामान्तरकरण में चिमनाराम चौधरी पुत्र कुपाराम चौधरी अंकित न होकर चिमनाराम चौधरी कुपाराम चौधरी हिस्सा पूर्ण अंकित है। अर्थात् केवल मात्र पुत्र शब्द अंकित नहीं होने से जैर नामान्तरकरण निरस्त किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि जैर नामान्तरकरण में भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13.02.2022 के अनुसार ''पटवारी रिपोर्ट एवं बेचान दस्तावेज अनुसार जांच किया। क्रेता का नाम बेचान दस्तावेज के अनुसार नहीं है। नाम दुरस्त कर पुनः पेश करे। पटवारी हल्का द्वारा पेश दि. 10.02.2022'' अर्थात् भू.अ.नि. द्वारा पटवारी को नाम दुरूस्त कर पुनः नामान्तरकरण पेश करने की रिपोर्ट के उपरान्त भी तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने जैर नामान्तरकरण को खारिज कर दिया, जो विधिनुसार सही नहीं होने से खारिज योग्य है।

नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा खारिज ग्राम मलसाबावडी पटवार मण्डल मलसाबावडी भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राणावास के नामान्तरकरण संख्या 1647 दिनांक 15.02.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इन

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जैर आराजी के सम्बन्ध में पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2021 से मिलान करते हुये, मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख के नामान्तरकरण दर्ज करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner